राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 283/2025

भगतराम मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव कम आयुक्त, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त सह संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् करौली।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टोडाभीम, जिला करौली।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.01.2025
आदेश की दिनांक : 27.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : सुश्री राधिका महरवाल, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील राज्य सरकार की अभिशंषा दिनांक 10.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं जिला परिषद, करौली द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.01.2025 (अनुलग्नक–2) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत शहराकर अति0 झाडीसा पंचायत समिति टोडाभीम में कार्यरत है एवं आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति नादौती किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलौच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 की पालना नहीं की गई है। उनका यह कथन है कि राज्य सरकार को पंचायती राज नियम 1994 की धारा 89 (8ए) में कर्मचारियों की स्थानान्तरण करने की शक्तियां प्रदत्त है परन्तु पत्र दिनांक 10.01.2025 द्वारा राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्थानान्तरण करने के संबंध में अभिशंषा की गई है। यह कोई स्थानान्तरण आदेश नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी करौली द्वारा राज्य सरकार की उक्त अभिशंषा के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलौच्य आदेश दिनांक 10.01.2025 द्वारा पंचायत समिति टोडाभीम से पंचायत समिति नादौती किया गया है जिसमें प्रकरण जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के समक्ष नहीं लाया गया है और न ही जिला परिषद की अभिशंषा के आधार पर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 (ii) के अनुसार जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के समक्ष प्रकरण रखा जाना आवश्यक है। साथ ही उनका यह भी निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा की गई अभिशंषा और स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.01.2025 में अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में ग्राम पंचायत के संबंध में कोई अंकन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए आलौच्य आदेश जारी किया गया है। अतः आलौच्य आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता राधिका महरवाल द्वारा निवेदन किया गया कि राज्य सरकार को राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 की धारा 89 (8ए) के तहत कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने के लिए शक्तियां प्राप्त है और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है, जिसमें किसी तरह की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है इसलिए अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में हम पाते है कि पंचायती राज अधिनियम 89 (8ए) के तहत राज्य सरकार को स्थानान्तरण करने के संबंध में शक्तियां प्रदत्त है परन्तु पत्र दिनांक 10.01.2025 द्वारा राज्य सरकार ने कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किए है बल्कि संबंधित जिलो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को स्थानान्तरण करने हेतु अभिशंषा की गई है। राज्य सरकार द्वारा अभिशंषा किए जाने की दशा में पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 और 290 के प्रावधानों की पालना की जाकर स्थानान्तरण आदेश जारी किए जा सकते है, जिसमें प्रकरण को जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.01.2025 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के समक्ष प्रकरण नहीं रखा गया है और राज्य सरकार की अभिशंषा के आधार पर यह आलौच्य आदेश जारी किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अपने स्तर पर जिला परिषद की स्वीकृति के अभाव में स्थानान्तरण आदेश जारी करने हेतु सक्षम नहीं है। अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत जिला परिषद करौली की दिनांक 16.01.2025 को आयोजित जिला स्थापना समिति की बैठक कार्यवाही विवरण

से स्पष्ट है कि इसमें कई स्थानान्तरण आदेशों की कार्योतर अनुमोदन किया गया है परन्तु इसमें अपीलार्थी का नाम नहीं है इससे स्पष्ट है कि जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के समक्ष अपीलार्थी का प्रकरण नहीं रखा गया है। साथ ही स्थानान्तरण आदेश में किसी ग्राम पंचायत पर पदस्थापन का विवरण नहीं किया गया है। मात्र पंचायत समिति नादौती अंकित किया गया है। इस संबंध में विद्वान् अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अधिकरण के समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 14638/2019 चन्द्र कांता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 790/2025 उदय भान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य और एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1311/2025 हरदेव पालीवाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई और निवेदन किया कि आलौच्य आदेश बिना प्रशासनिक आवश्यकता के बिना मस्तिष्क के जारी किया गया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे समान अन्य प्रकरणों को नियम विरूद्ध मानते हुए याचिकाए स्वीकार की है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 10.01.2025 को अपीलार्थी की हद तक अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहां अपीलार्थी आलौच्य आदेश जारी करने से पूर्व कार्यरत था। यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का नियमानुसार स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य